



प्रेस नोट

जनपद सीतापुर

अवैध शस्त्र फैक्ट्री बरामद, अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक सीतापुर श्री आर.पी. सिंह द्वारा जनपद सीतापुर में अपराध नियंत्रण एवम् आगामी पंचायत चुनाव को सकुशल संपन्न कराने हेतु अवैध असलहों की रोकथाम के लिये सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है।

दिये गये निर्देश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी के निकट पर्यवेक्षण में दिनांक 20.02.2021 को थाना हरगांव की पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए रामनरायन पुत्र जगन्नाथ निवासी ग्राम निजामपुर निकटी थाना खीरी जनपद लखीमपुर खीरी को अवैध शस्त्रों का निर्माण करते हुए ककराही ग्राम के दक्षिण स्थित नहर विभाग के जंगल में हरदेव बाबा के मंदिर के सामने से गिरफ्तार किया है। जिसके कब्जे से मौके से 10 अदद निर्मित अवैध शस्त्र, 11 अदद अर्द्धनिर्मित अवैध शस्त्र, 06 कारतूस एवं अवैध शस्त्र बनाने व मरम्मत करने के उपकरण बरामद हुए हैं। उक्त संबंध में थाना हरगांव पर मु0अ0सं0 121/21 धारा 25(1-B) आयुध अधिनियम व मु0अ0सं0 122/21 धारा 3/5/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत कर अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया गया।

अभियुक्त रामनरायन उपरोक्त एक अंतर्जनपदीय अभ्यस्त अपराधी है , जो काफी समय पूर्व से ही अवैध शस्त्र बनाने के कार्य में लिप्त था। **अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि आगामी पंचायत चुनाव में अवैध शस्त्रों की मांग की संभावना बढ़ जाती है जिसके लिए पहले से अवैध देशी तमंचा बनाकर रखता हूँ।** इन तमंचों को जनपद लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बहराइच, उन्नाव, शाहजहांपुर में विक्रय करके अपने परिवार का जीविकोपार्जन करता हूँ। अभियुक्त पहले भी तमंचा बनाने के अपराध में जनपद खीरी से जेल जा चुका है। जनपद में अपराध एवम् अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही निरंतर इसी प्रकार चलती रहेगी। उक्त अवैध शस्त्र फैक्ट्री की बरामदगी से जनपद में अवैध असलहे के प्रयोग में प्रभावी नियंत्रण संभव हो सकेगा।

● पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 121/21 धारा 25(1-B) आयुध अधिनियम थाना हरगांव जनपद सीतापुरा
2. मु0अ0सं0 122/21 धारा 3/5/25 आयुध अधिनियम थाना हरगांव जनपद सीतापुरा

● अभियुक्त का नाम व पता- रामनरायन पुत्र जगन्नाथ निवासी ग्राम निजामपुर निकटी थाना खीरी जनपद लखीमपुर खीरी

● बरामदगी विवरण-

03 अदद देशी बन्दूक 12 बोर, 04 अदद देशी तमंचा 315 बोर, 03 अदद देशी तमंचा 12 बोर, 04 अदद अर्द्धनिर्मित लोहे की नाल 315 बोर , 07 अदद अर्द्धनिर्मित लोहे की नाल 12 बोर, 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर, 02 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर, 02 अदद खोखा कारतूस 315 बोर एवम् शस्त्र बनाने के उपकरण

● गिरफ्तारी करने वाली थाना हरगांव पुलिस टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री ओ0पी0 तिवारी
2. उप निरीक्षक श्री कृष्ण कुमार
3. हे0का0 अंसार अहमद
4. का0 आदेश कुमार
5. का0 सचिन कुमार
6. का0 रवि प्रकाश
7. का0 दीप सिंह

● आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 252/98 धारा 5/25 आयुध अधिनियम थाना खीरी जनपद लखीमपुर खीरी।
2. मु0अ0सं0 254/98 धारा 25(1-B) आयुध अधिनियम थाना खीरी जनपद लखीमपुर खीरी।
3. मु0अ0सं0 121/21 धारा 25(1-B) आयुध अधिनियम थाना हरगांव जनपद सीतापुरा
4. मु0अ0सं0 122/21 धारा 3/5/25 आयुध अधिनियम थाना हरगांव जनपद सीतापुरा

